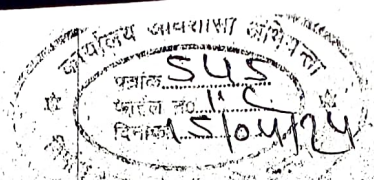


आदेश



भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/60/2022/एफ.सी./989 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.875 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7.750 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैयापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.875 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगू पट्टी बसन्तकोट तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतोनी खाता संख्या-61 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 329 रकवा 0.496 हे०, 337 रकवा 1.683 हे०, 340 रकवा 0.339 हे०, 344 रकवा 0.028 हे०, 346 रकवा 0.138 हे०, 348 रकवा 0.006 हे०, 350 रकवा 0.003 हे०, 353 रकवा 0.030 हे०, 355 रकवा 0.006 हे०, 359 रकवा 0.008 हे०, 361 रकवा 0.009 हे०, 363 रकवा 0.005 हे०, 365 रकवा 0.076 हे०, 367 रकवा 0.001 हे०, 369 रकवा 0.003 हे०, 371 रकवा 0.001 हे०, 384 रकवा 0.051 हे०, 385 रकवा 0.004 हे०, 386 रकवा 0.004 हे०, 387 रकवा 0.005 हे०, 393 रकवा 0.200 हे०, 413 मध्ये रकवा 0.014 हे०, 2024 रकवा 0.229 हे०, 2036 रकवा 0.650 हे०, 2042 रकवा 1.880 हे०, 2437 रकवा 1.006 हे०, 2438 रकवा 0.815 हे० कुल 27 खेतों की 7.750 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मार्च, 30, 2024

(रीना जोशी)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 1166 / सात- 16 / 2023-24

दिनांक मार्च 30, 2024

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. उप जिलाधिकारी धारचूला/मुनस्यारी।
 4. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
 5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अस्कोट पिथौरागढ़।

अह (धारचूला) / JE(T)

(रीना जोशी)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

